भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 286
उत्तर देने की तारीख: 21.07.2026

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का संवितरण

286. श्री नवसकनी के.:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति संबंधी कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) क्या अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का संवितरण रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति के नामांकन में पर्याप्त वृद्धि देखी गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): और (ख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन के माध्यम से केंद्र-प्रायोजित योजनाएं नामतः 'अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति' तथा 'अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति' योजना लागू करता है। अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में पिछली बार संशोधन क्रमशः 2020-21 और 2021-22 में किए गए थे। इन योजनाओं के तहत, अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए वित्त वर्ष 2022-23 से और अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए वित्त वर्ष 2021-22 से पात्र आवेदकों के आधार-से जुडे बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से केंद्र का हिस्सा जारी किया जाता है। डीबीटी लागू होने के बाद, अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना तथा अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति के संवितरण में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण **संलग्नक-I** में दिया गया है।

संलग्नक -I

'अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति का संवितरण' के संबंध में श्री नवसकनी के. द्वारा पूछे गए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 286, जिसका उत्तर 21.07.2026 को दिया जाना है, के भाग (क) और (ख) के उत्तर में संदर्भित संलग्नक-I

वित्त वर्ष	अनुसूचित जातियों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना*		अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना**	
	जारी की गई केंद्रीय सहायता (रुपये करोड़ में)	लाभार्थी	जारी की गई केंद्रीय सहायता (रुपये करोड़ में)	लाभार्थी
2021-22	1930.38	3025136	570.18	3238399
2022-23	4388.32	4647135	207.93	1134268
2023-24	5475.42	4738578	446.64	2129540
2024-25	5562.23	4804208	460.91	2165983
2025-26	6186.96	4753420	562.36	2679049

*अनुसूचित जातियों के छात्रों के लिए पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) वर्ष 2021-22 में शुरू किया गया था।

**अनुसूचित जातियों और अन्य के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) वर्ष 2022-23 में शुरू किया गया था।
